



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय / 2024 / 5020

दिनांक: 22/4/24

कार्यालय आदेश

लेखा एवं वित्त विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक लेखा एवं वित्त / 2021 / 6313-66 दिनांक 24.12.2021 के तहत रुपये 5.00 लाख एवं इससे अधिक कीमत की वस्तुओं / सामान के उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के अध्याय-2 नियम-3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की संगठनात्मक संरचना के मध्येनजर उपापन की विषयवस्तु के प्रकार एवं प्रकृति को देखते हुए ULET/RULET/URATPG/UG Admission, 2024-25 से संबंधित टेण्डर प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित उपापन समिति (Procurement Committee) एवं तकनीकी समिति (Technical Committee) का गठन किया जाता है:-


(अ) उपापन समिति (Procurement Committee)

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (उपापन संस्था) | - संयोजक |
| 2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार | - सदस्य |
| 3. संयोजक, CAB/ULET/RULET/URATPG/UG Admission, 2024-25 (मांगकर्ता / उपापन विषयवस्तु का उपयोगकर्ता) | - सदस्य |
| 4. प्रो० उमा मित्तल, मनोविज्ञान विभाग, कुलपति नामित | - सदस्य |
| 5. उप कुलसचिव (शैक्षणिक-द्वितीय) | - सदस्य सचिव |

(ब) तकनीकी समिति (Technical Committee)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति | - संयोजक |
| 2. उप कुलसचिव (लेखा एवं वित्त) / लेखाधिकारी | - सदस्य |
| 3. संयोजक, ULET/RULET/URATPG/UG Admission, 2024-25 (मांगकर्ता / उपापन विषयवस्तु का उपयोगकर्ता) | - सदस्य |
| 4. प्रो० उमा मित्तल, मनोविज्ञान विभाग, कुलपति नामित | - सदस्य |
| 5. उप कुलसचिव (शैक्षणिक-द्वितीय) | - सदस्य सचिव |

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(अवधेश सिंह)
कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय / 2024 / 5021-32

दिनांक: 22/4/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयोजक एवं समस्त सदस्य समिति, रा.वि.वि., जयपुर।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
4. रक्षित पंजिका।


उप कुलसचिव
(शैक्षणिक-द्वितीय)